पत्रांक-वा०अनु०/2023-24/ 1102 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, गौतमबुद्धनगर, जोन-नोएडा।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वाद अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक :: 10 नवम्बर, 2023

महोदय,

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उ०न्याय०कार्य) राज्य कर, लखनऊ के पत्र संख्या-1179 दिनांक-13/09/2023 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि UPVAT Act 2008 की धारा-58 मे वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक बिन्दु पर वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश की तामीली के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षण दायर किये जाने का प्राविधान है। विभागीय मैनुअल के अध्याय-04 में पुनरीक्षण दायर करने की विभागीय प्रक्रिया (प्रस्तर 3ख) में वर्णित है जिसके अनुसार जोन से पुनरीक्षण प्रस्ताव कार्यालय-अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर को कालबाधन की तिथि के 45 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त कराये जाने का प्रावधान है। प्रस्तर 3ग के अनुसार पुनरीक्षण काल बाधित हो जाने पर Limitaion Act की धारा 105 के अन्तर्गत विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र के साथ पुनरीक्षण दाखिल कराना होता है। मैनुअल के अध्याय-06 में विलंम्बक्षमा प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया गया है कि-Indian Limitaion Act की धारा 05 के अन्तर्गत विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र जिसमें दिन प्रतिदिन के विलम्ब के सुस्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अधिकारी पुनरीक्षण दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर आयुक्त ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षण प्रस्ताव मैनुअल में निर्धारित सीमा में न उपलब्ध कराकर अत्यन्त विलम्ब से इस कार्यालय को प्राप्त कराया जा रहा है जिसके पश्चात् इस कार्यालय की समस्त प्रक्रियाओं (विधिक राय प्राप्त करना, शासन से पुनरीक्षण की स्वीकृति प्राप्त करना, मुख्य स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से आवंटित स्थायी अधिवक्ता से आलेख लिखाया जाना) का अनुपालन करने के पश्चात् मा० उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल कराया जाता है जिसमे विभाग से विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव में और विलम्ब हो जाता है तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के तथ्यों की मेरिट पर विवेचना किये बिना विलम्ब से दाखिल पुनरीक्षण को विलम्ब के आधार पर ही अस्वीकार कर दिया जाता है जिससे विभाग को राजस्व सुरक्षित करने हेतु सुनवाई का प्राथमिक अवसर भी प्राप्त नही होता है। इसके अतिरिक्त विलम्ब से प्रेषित प्रस्तावों में विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र में एक ही प्रारूप पर (कर्मचारियों की कमी होना / बी०एल०ओ० की ड्यूटी / कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदि) कारणों का उल्लेख किया जाता है जिसे मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। यह स्थिति

राजस्व हित में उचित नही है। अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उ०न्याय०कार्य) राज्य कर, लखनऊ ने उपर्युक्त से सम्बन्धित कतिपय मामलों का उल्लेख भी किया है।

पूर्व में भी मुख्यालय के पत्र संख्या-792 दिनांक-08/09/2023 द्वारा रिवीजन दाखिल करने के मामलें में समयबद्धता की अपेक्षा की गई थी तथा उक्त के बावजूद विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाना उल्लिखित किया गया था।

प्रकरण अत्यन्त गंभीर है तथा रिवीजन के मापलें में समयबद्धता की अपेक्षा के बावजूद विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि रिवीजन दाखिल करने के समस्त मामलों में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रिवीजन हेतु कोई मामला विलम्बित न हो यदि किसी मामलें में सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही के कारण रिवीजन विलम्ब से दाखिल किया जाना पाया जाता है अथवा मा. उच्च न्यायालय के समक्ष विलम्ब के समुचित कारण उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

यह पत्र आयुक्त वाणिज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त प्रतिलिपि

1- अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ०न्याय०कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज एवं अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उ०न्याय०कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिवीजन दाखिल करने के मामलें में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायी जाये तथा यदि किसी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के अनुपालनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

10/11/23

अपर आयुक्त (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– 1179 /2023–2024/पुनरीक्षण/अपरआयु0ग्रेड–2(उ0न्या0का0)रा0क0

प्रेषक,

अपर आयुक्त ग्रेड–2
(उच्च न्यायालय कार्य)
राज्य कर, लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त, राज्य कर,
(विधि अनुभाग)
मुख्यालय, लखनऊ।

लखनऊ::दिनांक:: 13 सितम्बर, 2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि UPVAT Act 2008 की धारा–58 मे वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक बिन्दु पर वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश की तामीली के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षण दायर किये जाने का प्राविधान है।

विभागीय **मैनुअल के अध्याय–04 में पुनरीक्षण दायर करने की विभागीय प्रक्रिया(प्रस्तर 3ख)** में वर्णित है जिसके अनुसार जोन से पुनरीक्षण प्रस्ताव कार्यालय– अपर आयुक्त ग्रेड–2(उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर को कालबाधन की तिथि के 45 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त कराये जाने का प्रावधान है। प्रस्तर 3ग के अनुसार पुनरीक्षण काल बाधित हो जाने पर Limitaion Act की धारा 105 के अन्तर्गत विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र के साथ पुनरीक्षण दाखिल कराना होता है। **मैनुअल के अध्याय–06 में विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र** में यह वर्णित किया गया है कि Indian Limitaion Act की धारा 05 के अन्तर्गत विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र जिसमें दिन प्रतिदिन के विलम्ब के सुस्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अधिकारी पुनरीक्षण दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि **पुनरीक्षण प्रस्ताव मैनुअल में निर्धारित सीमा में न उपलब्ध कराकर अत्यन्त विलम्ब से इस कार्यालय को प्राप्त कराया जा रहा है जिसके पश्चात् इस कार्यालय की समस्त प्रक्रियाओं(विधिक राय प्राप्त करना, शासन से पुनरीक्षण की स्वीकृति प्राप्त करना, मुख्य स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से आवंटित स्थायी अधिवक्ता से आलेख लिखाया जाना)** का अनुपालन करने के पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल कराया जाता है जिसमे विभाग से विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव में और विलम्ब हो जाता है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के तथ्यों की मेरिट पर विवेचना किये बिना विलम्ब से दाखिल पुनरीक्षण को विलम्ब के आधार पर ही अस्वीकार कर दिया जाता है जिससे विभाग को राजस्व सुरक्षित करने हेतु सुनवाई का प्राथमिक अवसर भी प्राप्त नही होता है। इसके अतिरिक्त विलम्ब से प्रेषित प्रस्तावों में विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र में एक ही प्रारुप पर(कर्मचारियों की कमी होना/बी0एल0ओ0 की ड्यूटी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदि) कारणों का उल्लेख किया जाता है जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया जाता। यह स्थिति राजस्व हित में उचित नही है।

उदाहरण के लिये सर्वश्री कृष्णा रेफ्रिजरेशन द्वितीय अपील संख्या–310/2019 का अधिकरण निर्णय खण्ड कार्यालय को दिनांक 06.02.2020 को प्राप्त होने के पश्चात् पुनरीक्षण प्रस्ताव उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि पीठ–3 लखनऊ से पत्रांक 194 दिनांक 08.08.2022(लगभग 2.5 वर्ष पश्चात्) इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें विलम्बक्षमा प्रार्थना पत्र में विलम्ब स्वीकार करने योग्य युक्तियुक्त कारणों का उल्लेख न होकर कर्मचारियों की कमी, राजकीय अवकाश जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है। उक्त विलम्ब से प्राप्त पुनरीक्षण प्रस्तावों एवं उनमें विलम्ब स्वीकार करने योग्य युक्तियुक्त कारणों का उल्लेख न होने के कारण मा0 उच्च

2. सर्वश्री देवेन्द्र इन्जीनियरिंग वर्क्स लखनऊ(STRED 140/2014) में पुनरीक्षण दाखिल करने में 03 साल 01 महीना 26 दिन का विलम्ब(विलम्ब का कारण circumstantial and not deliberate)
3. सर्वश्री मिडलैण्ड लखनऊ(STRED 214/2013) में पुनरीक्षण दाखिल करने में 01 साल 08 महीना 12 दिन का विलम्ब(विलम्ब का कारण circumstantial and not deliberate)। उपरोक्त वादों को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में विलम्ब के आधार पर(बिना मेरिट को संज्ञान में लिये) डिसमिस कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के क्षेत्र में आने वाले समस्त क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि पुनरीक्षण प्रस्ताव मैनुअल में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समय से एवं विलम्ब के स्वीकार योग्य कारणों का उल्लेख करते हुये प्रस्ताव अपर आयुक्त ग्रेड–2(उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर लखनऊ हेतु उपलब्ध कराये जाये जिससे विभाग को राजस्व सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सकें।

भवदीय

(मनोज त्रिपाठी)
अपर आयुक्त ग्रेड–2(उच्च न्यायालय कार्य)
राज्य कर, लखनऊ।